कार्यवृत्त

बुधवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 04 मार्च, 2020)

खण्ड–53

अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार एवं प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों के साथ हो रहे अन्याय पर परीक्षा को तत्काल रद्द करते हुए दुबारा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध दी गई सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। जिससे व्यवधान होने लगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाये जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिये नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे माननीय सदन के सभी पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से प्रश्नकाल में गम्भीर विचार–विमर्श हुआ और जनहित के विषय माननीय सदन में उठाये गए। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्नकाल में आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	काजी मौ0 निजामुद्दीन	मंगलौर, जनपद हरिद्वार स्थित परिवहन बस अड्डे के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा, देहरादून अन्तर्गत वार्ड सं0 21 एमकेपी में जलनिगम द्वारा 5–6 वर्ष पूर्व डाली गई सीवर लाइन को शुरू करने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा मनरेगा श्रमिकों के श्रम कार्ड न बनने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
4.	श्री बिशन सिंह	जनपद पिथौरागढ़ के सिंचाई विभाग की तीतरी नहर वर्ष 2015–2016 में क्षतिग्रस्त होने से ग्राम पंचायत तितरी के 165 परिवारों की भूमि सिंचाई से वंचित है, तीतरी नहर का निर्माण अब तक न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**

5. श्री महेश सिंह नेगी — विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत असुरगढ़ी पेयजल योजना का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गई।)

6. श्री दीवान सिंह बिष्ट — विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सिंचाई नहरों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गई।)

7. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी — चम्पावत विधान सभा क्षेत्र के चम्पावत में फायर स्टेशन के ना होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2019 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20, खण्ड–1 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के अधीन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2017–2018, 2018–2019) को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम– 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को सदन के पटल पर रखा।

सभापति, उत्तराखण्ड विधान सभा की आश्वासन समिति का बत्तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सभापति, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे किः–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2019–2020 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड { उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का प्रथम अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौथा अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का पाँचवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड चार धाम देवास्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का छठा अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सातवां अधिनियम बन गया।

(10) उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का आठवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का नौवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का दसवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री तहसील भटवाड़ी के ग्राम अठाली में फसलों की सुरक्षा हेतु तार घेरबाड़ करवाये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती रोशनी देवी, पत्नी श्री जय सिंह राणा, ग्राम अठाली, पो0 रतूड़ीसेरा, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में स्थित बी0एम0वी0 क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग कि0मी0 23 से 29 तक सुधारीकरण व अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में" श्री अवतार सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री बख्तावर सिंह, ग्राम व पो0 मेहलचौरी जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत खनसर नदी से सरस्वती शिशु मन्दिर माईथान बाजार की बाढ़ सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में" श्री कमला प्रसाद पुत्र श्री महेशा नन्द नैनवाल, ग्राम कोट, पो0 माईथान जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पिण्डर नदी में निर्माणाधीन मोटर पुल सिमली व आमसौड (सेरागाड) शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में" श्री देवेन्द्र सिंह नेगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम व पो0 सिमली जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना के तहसील बालगंगा के गोनगढ़ पेयजल योजना के सम्बन्ध में'' श्री राम कुमार कठैत, पुत्र श्री उत्तम सिंह, ग्राम सरकण्डा, तहसील बालगंगा, जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भिलंग घाटी में अनेक पर्यटक स्थलों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्तवाल, ग्राम गंवाणा मल्ला, पट्टी भिलंग, जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री खजान दास, सदस्य, विधान सभा राजपुर रोड़ विधान सभा के अन्तर्गत मच्छी बाजार, देहरादून को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सन्तोष नागपाल पूर्व पार्षद नगर निगम, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट भैंसवाल में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण व चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री मिन्टू, पुत्र श्री मूलाचन्द, ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट भैंसवाल, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वालगाज पोस्ट इकबालपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री दलीप प्रधान, पुत्र श्री सोमी सिंह, ग्राम ग्राम भलस्वालगाज पोस्ट इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बालेकी यूसूफपुर पोस्ट इकबालपुर में रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री सेढ़न कुमार पुत्र श्री हरि सिंह बालेकी यूसूफपुर पोस्ट इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्रीमती ममता राकेश, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा तहसीलदार भगवानपुर श्रीमती सुशीला कोठियाल द्वारा उनका फोन रिसीव न करने एवं उनके साथ जनता के सामने अभद्रता करने के विरूद्ध दिनांक 04 मार्च, 2020 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त पर व्यवस्था दिये जाने के निर्देश दिये गये।

संसदीय कार्य मंत्री, 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री, 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020' को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री, 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री, 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

उच्च शिक्षा मंत्री, ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

उच्च शिक्षा मंत्री, ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत मौ0 काजी निजामुद्दीन, हाजी फुरकान अहमद, श्री आदेश चौहान, श्रीमती ममता राकेश, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल एवं श्री करन माहरा, श्री प्रीतम सिंह एवं श्री राजकुमार, श्री मनोज रावत एवं श्री हरीश सिंह तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे सभी सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

गन्ना पैराई सत्र 2019–2020 में गन्ने का मूल्य न बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य मौ0 काजी निजामुद्दीन, हाजी फुरकान अहमद, श्री आदेश चौहान, श्रीमती ममता राकेश, माननीय नेताप्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।

संसदीय कार्य मत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 10 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

भोजन माताओं के आन्दोलन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री राजकुमार एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। माननीय शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षितों की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

03 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

माननीय शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधायक निधि के कराये जाने वाले कार्यों में व्यवधान पैदा किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह, श्री मनोज रावत एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये।

03 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020–21 का आय– व्ययक प्रस्तुत किया।

मा0 मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं समस्त मा0 सदस्यों ने मा0 मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया व धन्यवाद दिया।

प्रदेश में वन आरक्षी के 1218 पदों पर लिखित परीक्षा से हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं उत्तराखण्ड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार एवं प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों के साथ हो रहे अन्याय पर परीक्षा को तत्काल रद्द करते हुए दुबारा परीक्षा कराये जाने विषयक नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य नेता प्रतिपक्ष, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन माहरा, श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, मौ0 काजी निजामुद्दीन, हाजी फुरकान अहमद, श्री राजकुमार, श्री मनोज रावत तथा श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये एवं **घोर व्यवधान के ही मध्य विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।**

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाये जाने विषयक नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं :–

1. श्री मनोज रावत	जनपद चमोली के ग्राम औली सिंह धार में वर्ष 2007–2008 में विण्टर गेम्स हेतु राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन का मुआवजा आज तक न दिये जाने विषयक।
2. हाजी फुरकान अहमद	ग्राम बजूहेडी तहसील रूड़की में सरकारी पुलिया बंद किये जाने के कारण कृषि भूमि के जलमग्न होने के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती ममता राकेश	विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर क्षेत्र सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में ट्रक, डंपर एवं अन्य बड़े व छोटे वाहनों से कुचले गये व्यक्तियों तथा अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को तत्काल/मुआवजा/आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने विषयक।
4. मौ0 काजी निजामुद्दीन	मंगलौर, जनपद हरिद्वार स्थित परिवहन बस अड्डे के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।
5. श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा, देहरादून अन्तर्गत वार्ड सं0 21 एमकेपी में जलनिगम द्वारा लगभग 5–6 वर्ष पूर्व डाली गई सीवर लाइन को शुरू करने के सम्बन्ध में।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	बाजखेत–कुशिया चौन–ढैया किचार तक निर्मित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य मानकानुसार न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
7. श्री देशराज कर्णवाल	उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये जो आरक्षण विगत वर्षों से दिया जा रहा था उसे पूर्व की भाँति यथावत रखा जाये।
8. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा मनरेगा श्रमिकों के श्रम कार्ड न बनने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
9. श्री चन्दन राम दास	प्रदेश के बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षित व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का समायोजन करने के सम्बन्ध में।
10. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के सिंचाई विभाग की तीतरी नहर वर्ष 2015–2016 में क्षतिग्रस्त होने से ग्राम पंचायत तितरी के 165 परिवारों की भूमि सिंचाई से वंचित है, तीतरी नहर का निर्माण अब तक न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
11. श्री राजकुमार ठुकराल	रूद्रपुर में यातायात (ट्रांसपोर्टनगर) की स्थापना के सन्दर्भ में
12. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून की विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम सेलाकुई में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र को 50 बेड का कर उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
13. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के सुवाखोली में विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में।
14. श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत असुरगढ़ी पेयजल योजना का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
15. श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत सिंचाई नहरों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
16. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत की

		नजूल भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिये जाने के कारण व्याप्त असन्तोष की सूचना।
17.	श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	चम्पावत विधान सभा क्षेत्र के चम्पावत में फायर स्टेशन के ना होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष की सूचना।
18.	स्वामी यतीश्वरानन्द	जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में हाथी दीवार तथा तार–बाढ़ न होने से किसानों में व्याप्त असंतोष की सूचना।
19.	श्री राम सिंह कैडा	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत जमरानी बाँध बनने पर डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन कब्जे धारकों के नाम न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना।
20.	श्री धन सिंह नेगी	जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा के अन्तर्गत हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज भागीरथीपुरम के संचालन के सन्दर्भ में।
21.	श्री प्रदीप बत्रा	जनपद हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र रूड़की में शासनादेश सं0–838/कर–अनु0/न0नि0रूड़की/2017–18, दिनाँक 03 नवम्बर, 2017 को वापिस लिये जाने अथवा जनहित में करों में कटौती कर इसे संशोधित करने के सम्बन्ध में।
22.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देवाधार कण्डारी खोड के कटिंग के मलवे से जसखोला, चौरासैंण की नाप खेतों में फसल का भारी नुकसान के मुआवजे के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2020 को दिये गये अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री गणेश जोशी की सूचना जो कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 8 सालावाला में न्यू कैंट रोड पर सालावाला पुल के नव निर्माण के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री यतीश्वरानन्द की सूचना जो कि दिनांक 25 फरवरी, 2020 को हुई अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अंतर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 07 बजे अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।